



टी बोर्ड भारत Tea Board India

14, बी.टी.एम.सरणी (ब्रेबोर्न रोड) कोलकाता 700001

14, B.T.M Sarani (Brabourne Road) Kolkata 700 001

www.teaboard.gov.in

संदर्भ सं: 8(01)/2023/संवर्धन

.....

.....

दिनांक: 03.08.2023

टी बोर्ड इंडिया के साथ प्रगति मैदान नई दिल्ली में 3-5 नवंबर, 2023 के दौरान वर्ल्ड फूड इंडिया में भागीदारी के लिए परिपत्र

क.पृष्ठभूमि

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय (एमओएफपीआई) 3 से 5 नवंबर 2023 तक प्रगति मैदान, नई दिल्ली में विश्व खाद्य भारत (डब्ल्यूएफआई) 2023 का आयोजन कर रहा है, जिसमें वैश्विक खाद्य क्षेत्र पारिस्थितिकी तंत्र के निवेशकों, निर्माताओं, उत्पादकों, खाद्य प्रोसेसर, नीति निर्माताओं और संगठनों को एक साथ लाया जाएगा। इस आयोजन में प्रदर्शनियाँ, सम्मेलन और विषयगत ज्ञान सत्र, बी2बी, बी2जी और जी2जी बैठकों के लिए रिवर्स बीएसएम, भारतीय राज्य और अंतर्राष्ट्रीय मंडप, सीईओ राउंडटेबल्स और फूड स्ट्रीट, स्टार्ट-अप अवार्ड्स आदि शामिल हैं। 2017 में आयोजित डब्ल्यूएफआई का पिछला संस्करण 70,000+ व्यापार प्रतिनिधियों, 800+ प्रदर्शकों, 60+ देशों, 28 राज्यों, 50+ वैश्विक सीईओ और 8000+ बी2बी और बी2जी बैठकों की भागीदारी के साथ बेहद सफल रहा था।

डब्ल्यूएफआई 2023 की परिकल्पना भारत को विश्व की फुड बास्केट के रूप में प्रदर्शित करने और खाद्य प्रसंस्करण, प्रौद्योगिकी और उपकरण, विनिर्माण, आपूर्ति श्रृंखला, रसद, कोल्ड चेन और खाद्य खुदरा क्षेत्र में निवेश और सहयोग के अवसरों का पता लगाने के लिए की गई है।

वर्ल्ड फूड इंडिया 2023 के दौरान एक रिवर्स बायर सेलर मीट (आरबीएसएम) का आयोजन किया जा रहा है, जहां दुनिया भर से 1000 से अधिक विदेशी खरीदारों को प्रदर्शकों के साथ निर्धारित बी-2-बी और बी-2-जी बैठकें करने और बहुपक्षीय व्यापार को बढ़ाने एवं खाद्य व पेय पदार्थ क्षेत्र में के लिए आमंत्रित किया जाएगा। उपरोक्त पृष्ठभूमि में, टी बोर्ड इंडिया ने डब्ल्यूएफआई'23 में भाग लेने का निर्णय लिया है। तदनुसार, इसे हॉल नंबर-3 (ग्राउंड फ्लोर) में 195 वर्गमीटर कुल स्थान आवंटित किया गया है।

ख. पात्रता मापदंड

1. भारत प्रगति मैदान नई दिल्ली में 3 से 5 नवंबर, 2023 तक वर्ल्ड फूड इंडिया 2023 में टी बोर्ड के साथ भाग लेने के इच्छुक चाय कंपनियों/आवेदकों को टी बोर्ड के साथ पंजीकृत होना चाहिए। कंपनी/आवेदक की मुहर और अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के हस्ताक्षर के साथ वैध लाइसेंस (निर्यातक लाइसेंस) की प्रतियां आवेदन पत्र के साथ जमा की जानी चाहिए। यदि लागू हो तो कंपनी/आवेदक को दार्जिलिंग चाय के संबंध में नवीनतम सीटीएम लाइसेंस की प्रति भी प्रदान करनी होगी। लघु चाय उत्पादकों (एसटीजी) के मामले में, टी बोर्ड इंडिया द्वारा जारी एसटीजी स्मार्ट कार्ड की प्रति जमा की जानी चाहिए।
2. केवल पैकेट चाय क्रेताओं/निर्यातकों और/या मूल्यवर्धित चाय निर्यातक जिनके पास पैकेट हैं, को मंत्रालय के आदेशानुसार भागीदारी के लिए विचार किया जाएगा।
3. कंपनी/आवेदक को वर्ल्ड फूड इंडिया 2023 में बोर्ड के स्टैंड पर केवल भारतीय चाय प्रदर्शित/बेचना/प्रदर्शन करना होगा। अन्य मूल की चाय सख्ती से प्रतिबंधित है और स्वीकार्य नहीं है।

ग. आवेदन की प्रक्रियाएँ

1. भागीदारी में रुचि रखने वाली चाय कंपनियों/आवेदकों को अनुबंध-1 में दिए गए आवेदन प्रारूप के माध्यम से भागीदारी में अपनी रुचि की जानकारी देते हुए टी बोर्ड को आवेदन करना होगा।
2. टी बोर्ड के साथ प्रदर्शनियों में भाग लेने के लिए आवेदन पर केवल नीचे दिए गए दिशानिर्देशों के अनुसार सभी आवश्यक दस्तावेजों और भागीदारी शुल्क प्राप्त होने पर ही विचार किया जाएगा।
3. कंपनी/आवेदक को कंपनी/आवेदक की मुहर और अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के हस्ताक्षर के साथ कंपनी के लेटर हेड पर एक वचनबंध प्रस्तुत करना पड़ेगा कि वह व्यापार और व्यवसाय से संबंधित किसी भी आधार पर किसी जांच/आरोपी/मुकदमा/विवर्जित/काली सूची में नहीं है, और निदेशक/वरिष्ठ मैनेजर के पद से कम किसी के द्वारा हस्ताक्षरित नहीं है। कंपनी/आवेदक के लेटरहेड पर दी गई घोषणा की स्कैन कॉपी।
4. इसके अलावा, कंपनी के लेटर हेड पर अनुलग्नक - 2 में दी गई एक घोषणा, जिसमें कंपनी/आवेदक की मुहर के साथ अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के हस्ताक्षर हों, को आवेदन और शुल्क लेनदेन के साक्ष्य के साथ प्रस्तुत किया जाना चाहिए।
5. उपर्युक्त सभी दस्तावेजों में कंपनी/आवेदक की मुहर के साथ-साथ कंपनी/आवेदक के अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के हस्ताक्षर होने चाहिए।
6. समूह कंपनियों के लिए केवल एक आवेदन पर विचार किया जाएगा जहां पूरे समूह को एक आवेदक माना जाएगा।
7. इच्छुक चाय कंपनी/आवेदक को न्यूनतम 6 वर्ग मीटर जगह आवंटित की जाएगी। उसे आवंटित निर्मित स्थान की कुल लागत का 40% वहन करना होगा। आवेदक को रुपये 20,000/- + 18% जीएसटी की भागीदारी शुल्क का भुगतान "टी बोर्ड मार्केट प्रमोशन स्कीम" के पक्ष में एनईएफटी/आरटीजीएस के माध्यम से करना होगा और उनके आवेदनों के साथ यूटीआर नंबर लेन-देन का ब्यौरा जमा करें। यह राशि एक व्यक्तिगत चाय कंपनी/आवेदक के 40% शेयर के लिए विनियोजित की जाएगी।

अतिरिक्त/अव्ययित राशि को आयोजन में भाग लेने के लिए किसी कंपनी/आवेदक के कारण होने वाली वास्तविक लागत के विरुद्ध समायोजित किया जाएगा। यदि 6 वर्ग मीटर/9 वर्ग मीटर के स्टॉल की कुल लागत रु. 20,000/- से अधिक है, तो अतिरिक्त राशि कंपनी/आवेदक को लेखांकन उद्देश्य के लिए कार्यक्रम के पूरा होने के 15 दिनों के भीतर टी बोर्ड को भुगतान करनी होगी।

निर्धारित राशि एनईएफटी/आरटीजीएस द्वारा निम्नलिखित खाते में जमा की जाएगी:

लेखा का नाम: **“Tea Board Market Promotion Scheme”**

A/c No: 00260200000807

IFSC: BARBoBRABOU (the 5th letter is ‘zero’)

Bank of Baroda, Brabourne Road

8. कंपनियों की शॉर्टलिस्टिंग और उपलब्ध स्थान से अधिक संख्या होने पर आगे का चयन लॉटरी निकालकर किया जाएगा।

9. एसटीजी क्षेत्र की भागीदारी के संबंध में, लघु चाय उत्पादकों (एसटीजी) के लिए तीन स्टॉल निर्धारित किए जाएंगे, बशर्ते एसटीजी आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि के भीतर अपने भरे हुए आवेदन पत्र जमा करें।
10. एसटीजी को आवंटित निर्मित स्टालों के लिए प्रत्येक आवेदक के लिए भागीदारी शुल्क के रूप में 1180/- रु. को छोड़कर किसी भी शुल्क से छूट दी जाएगी। तीन (3) से अधिक एसटीजी प्रतिभागियों की स्थिति में, चयन लॉटरी के आधार पर किया जाएगा। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति लघु उत्पादक प्रतिभागियों के लिए, कोई भागीदारी शुल्क नहीं होगा। हालाँकि, सभी मामलों में, टी बोर्ड अनुमोदित प्रतिशत हिस्सेदारी के अनुसार स्टालों के लिए केवल किराये का शुल्क वहन करेगा। कोई अन्य शुल्क नहीं जैसे यात्रा, आवास, सैपलिंग उपकरण, लॉजिस्टिक्स, अतिरिक्त साज-सज्जा और अन्य आकस्मिक शुल्क आदि टी बोर्ड द्वारा वहन किया जाएगा।
11. कंपनी/आवेदक को आयोजनों में केवल भारतीय चाय का प्रदर्शन/विक्रय/प्रदर्शन करना होगा। कंपनी/आवेदक को इस संबंध में कंपनी/आवेदक की मुहर और प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के हस्ताक्षर के साथ एक वचन पत्र प्रस्तुत करना होगा जिसमें कहा जाएगा कि उसके स्टॉल/स्टैंड से केवल भारतीय चाय का प्रदर्शन, नमूना और बिक्री की जाएगी। गैर-चाय उत्पाद (अर्थात् कैमेलिया साइनेंसिस पौधे से प्राप्त नहीं होने वाले उत्पाद) या अन्य पेय पदार्थों के साथ-साथ भारत के अलावा अन्य मूल चाय को स्टालों से प्रदर्शित/नमूना/बेचा नहीं जाना चाहिए। इसमें किसी भी विचलन को गंभीरता से लिया जाएगा और उपाध्यक्ष के विवेक के अनुसार जुर्माना लगाया जाएगा।
12. प्रदर्शन पर पैक/कार्टन/केडी आदि के संदर्भ में और संबंधित बूथ/स्टॉल से लीफलेट/स्टैंडीज़, मुफ्त उपहार, प्रावरणी, एवी डिस्प्ले आदि के संदर्भ में ब्रांडिंग की अनुमति दी जाएगी।
13. प्रतिभागियों को यह सुनिश्चित करना होगा कि उनका प्रदर्शन सौंदर्यपूर्ण तरीके से किया गया है और प्रदर्शनी की पूरी अवधि के दौरान उनके आवंटित स्थान को उचित रूप से व्यवस्थित किया गया है। टी बोर्ड ज़ोन में अच्छा प्रदर्शन करने के लिए आवश्यकताएं, जैसे: चाय चखने और चाय के नमूने लेने की गतिविधियों के संचालन के लिए अनुभवी कर्मियों की नियुक्ति, यात्रा, आवास, नमूना उपकरण, लॉजिस्टिक्स, कर्मचारियों के लिए स्मार्ट लिवरियां, प्रदर्शन सामग्री, सहायक उपकरण, अतिरिक्त साज-सज्जा और अन्य आकस्मिक शुल्क की व्यवस्था और वहन कंपनी/आवेदक को करना होगा। इसके अलावा, यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि भाग लेने वाली चाय कंपनियों के सभी प्रतिनिधि आयोजन की पूरी अवधि और समापन तक वहां मौजूद रहें।
14. प्रत्येक चाय कंपनी/आवेदक को टी बोर्ड ज़ोन में प्रदर्शित किए जाने वाले उचित डिस्प्ले और सहायक उपकरण की तस्वीरें जमा करनी होंगी।
15. ऐसे व्यक्तियों के आवेदन जो मंजूरी प्रक्रिया को प्रभावित करने के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रस्ताव, पुरस्कार, उपहार या कोई भौतिक लाभ, या किसी दबाव का सहारा लेते हैं, को सरसरी तौर पर खारिज कर दिया जाएगा।
16. कृपया ध्यान दें कि सभी इच्छुक आवेदकों/चाय कंपनियों/एसटीजी को भरे हुए आवेदन पत्र आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि के भीतर जमा करने होंगे, जो कि टी बोर्ड की वेबसाइट पर इस परिपत्र के प्रकाशन के सात (07) कार्य दिवस बाद है। कट-ऑफ तिथि के बाद प्रस्तुत आवेदनों पर विचार करने के किसी भी अनुरोध पर किसी भी परिस्थिति में विचार नहीं किया जाएगा।
17. टी बोर्ड की वेबसाइट पर अपलोड करने की तिथि से पहले किसी भी आवेदन/सूचना पर विचार नहीं किया जाएगा।

18. यदि आवेदक द्वारा प्रदान किया गया कोई भी विवरण गलत पाया जाता है और यदि कोई प्रासंगिक जानकारी छिपाई गई पाई जाती है, तो टी बोर्ड के उपाध्यक्ष के विवेक के अनुसार जुर्माना लगाया जाएगा।
19. किसी भी आवेदन से उत्पन्न किसी भी संदेह या विवाद की स्थिति में, उपाध्यक्ष, टी बोर्ड का निर्णय अंतिम और बाध्यकारी होगा।
20. टी बोर्ड योजना के कुशल और प्रभावी कार्यान्वयन और इसके उद्देश्यों की पूर्ति के लिए आवश्यक समझे जाने पर बिना किसी सूचना के उप-घटक के किसी भी नियम और शर्तों को अपने विवेक से संशोधित करने, बढ़ाने या निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।
21. आवेदन जमा करने सहित सभी संचार निम्नलिखित पर प्रस्तुत किए जा सकते हैं:
सचिव,
टी बोर्ड भारत
14,बी.टी.एम.सरणी (ब्रेबोर्न रोड)
कोलकाता 700 001
फोन नं. +91 33 2235 1331 (हार्ड प्रतियां)

secytboard@gmail.com, secretary.tbi-wb@gov.in, amritachakraborty77@gmail.com
(सॉफ्ट प्रतियां)



(डॉ. ऋषिकेश राय)

सचिव



अनुलग्नक - 1

**टी बोर्ड इंडिया के साथ प्रगति मैदान नई दिल्ली में 3-5 नवंबर, 2023 के दौरान वर्ल्ड
फूड इंडिया में भागीदारी के लिए आवेदन**

क्र.सं	विषय	विवरण
1	फर्म/कंपनी/आवेदक/संगठन का नाम	
2	संपूर्ण संचार निर्देशांक (ई-मेल, टेलीफोन नंबर, मोबाइल नंबर, पंजीकृत कार्यालय का पता)	
3	आयोजन में भाग लेने वाले अधिकारी/कर्मचारियों का नाम	
4	समूह कंपनी/आवेदक का नाम, यदि कोई हो	
5	टी बोर्ड के साथ पंजीकरण दर्शाने वाले दस्तावेजों का नाम और संख्या	
6	पिछले 3 वर्षों का व्यावसायिक प्रदर्शन (पिछले 3 वित्तीय वर्षों में से प्रत्येक का अलग से उल्लेख करें) वर्ष 1 _____ वर्ष 2 _____ वर्ष 3 _____	
6(i)	औसत निर्यात (मात्रा, आईएनआर और यूएसडी में मूल्य, इकाई मूल्य प्राप्ति)	
6(ii)	मूल्य-वर्धित खंड में व्यवसाय के औसत प्रतिशत के संकेत के साथ औसत घरेलू वार्षिक कारोबार	
7.	क्या अन्य आयोजन के लिए सरकारी निकाय/ईपीसी/कमोडिटी बोर्ड/आईटीपीओ आदि से सहायता ली जा रही है?	

घोषणा

मैं/हम सत्यनिष्ठा से वचन देते/घोषणा करते हैं कि ऊपर वर्णित विवरण मेरी/हमारी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य और सही हैं।

कोई भी जानकारी, यदि गलत, या भ्रामक पाई जाती है, तो हम चाय बोर्ड के साथ आगामी कार्यक्रमों में हमारी भागीदारी को अस्वीकार करने के लिए उत्तरदायी होंगे, इस संबंध में हमारे खिलाफ की जाने वाली किसी भी अन्य कार्रवाई पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना।

यदि जांच के परिणामस्वरूप मुझे/हमें कोई अतिरिक्त भुगतान किया गया पाया जाता है, तो इसे मेरी/हमारी फर्म द्वारा किए जाने वाले किसी भी बाद के दावों के विरुद्ध समायोजित किया जा सकता है या यदि बाद में कोई दावा पाइपलाइन में नहीं है, अधिक भुगतान की गई राशि मेरे/हमारे द्वारा भुगतान की गई अतिरिक्त राशि की सीमा तक वापस कर दी जाएगी।

हस्ताक्षर _____

नाम (मोटे अक्षरों में) _____

पद _____

आवेदक का नाम / फर्म _____

कार्यालय सील _____

स्थान:

दिनांक: